रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267274
CG-DL-E-30102025-267274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4777]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 2025/कार्तिक 7, 1947
No. 4777]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2025/KARTIKA 7, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2025

सं. 46/2025–26

विषयः आइटीसी (एचएस), 2022 के अध्याय 60 के अंतर्गत शामिल कृत्रिम बुने हुए कपड़ों की आयात नीतिगत शर्त में आंशिक संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4928(अ).— समय–समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 77/2023 दिनांक 16.03.2024, अधिसूचना संख्या 33/2024–25 दिनांक 01.10.2024, अधिसूचना संख्या 49/2024–25 दिनांक 04.01.2025 और अधिसूचना संख्या 05/2025–26 दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से कृत्रिम बुने हुए कपड़ों के कुछ आइटीसी (एचएस) कोड पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआइपी) लगाया था।

2. अब अधिसूचना संख्या 5/2025–26 दिनांक 23.04.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा आइटीसी (एचएस) कोड 60053600 की आयात नीति को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया हैः

आइटीसी (एचएस) कोड	मद का विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
60053600	- सिंथेटिक फाइबर के: -- अन्य, अविरंजित या विरंजित	प्रतिबंधित	तथापि, यदि प्रति किलोग्राम सीआइएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर या अधिक है तो आयात 'मुक्त' है	यदि प्रति किलोग्राम सीआइएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक है, तो आयात 'मुक्त' है। तथापि, 28 से 48 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) की रेंज में आने वाले कपड़ों के आयात को उपरोक्त न्यूनतम आयात मूल्य (एमआइपी) शर्त से छूट दी गई है।

3. अधिसूचना संख्या 05/2025–26 दिनांक 23.04.2025 के अंतर्गत अधिसूचित अन्य एचएस कोडों पर एमआइपी की शर्त अपरिवर्तित रहेगी। इसके अतिरिक्त, अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) में स्थित इकाइयों द्वारा आयातित निविष्टि को एमआइपी की शर्त से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि आयातित निविष्टि घरेलू प्रषुल्क क्षेत्र (डीटीए) में न बेचे जाएँ।

इस अधिसूचना का प्रभावः आइटीसी (एचएस) कोड 60053600 के तहत कृत्रिम बुने हुए कपड़ों का आयात ''प्रतिबंधित'' रहेगा और 28 से 48 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) रेंज में आने वाले कपड़ों को छोड़कर, 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम की एमआइपी शर्त के अधीन रहेगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध–39/एएम–05/पीसी–2[ए]/ई–1425]

अजय भादू, अपर सचिव एवं महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2025

No. 46/2025-26

Subject: Partial amendment in Import Policy Condition of Synthetic Knitted Fabrics Covered under Chapter 60 of the ITC (HS), 2022 – reg.

S.O. 4928(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Central Government had imposed Minimum Import Price (MIP) on certain ITC (HS) Codes of Synthetic Knitted Fabrics vide Notification No. 77/2023 dated 16.03.2024, Notification No. 33/2024-25 dated 01.10.2024, Notification No. 49/2024-25 dated 04.01.2025 and Notification No. 05/2025-26 dated 23.04.2025.

2. Now in partial modification in Notification No 5/2025-26 dated 23.04.2025, it has been decided by the Central Government to revise import policy of ITC (HS) Code 60053600 as under:

ITC (HS) Code	Item Description	Import Policy	Existing Policy condition	Revised Policy Condition
60053600	- Of synthetic fibres : -- Other, unbleached or bleached	Restricted	However,Import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram	Import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram. However, Import of fabrics falling within the 28 to 48 grams per square meter (GSM) range is exempted from the above Minimum Import Price (MIP) condition

3. The MIP condition on other HS Codes notified under Notification No. 05/2025-26 dated 23.04.2025 shall remain unchanged. Further inputs imported by Advance Authorisation holders, Export Oriented Units and units in SEZ shall be exempted from MIP condition subject to condion that the imported inputs are not sold in to Domestic Tariff Area (DTA).

Effect of this Notification: Import of Synthetic Knitted Fabrics under ITC (HS) Code 60053600 shall remain "Restricted" and subject to MIP condition of USD 3.5/kg, except for fabrics falling within the 28 to 48 grams per square meter (GSM) range.

This issues with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/Misc-39/AM-05/PC-2[A]/E-1425]

AJAY BHADOO, Addl. Secy. And Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA